**FORM NO III**

फर्द अहकाम

(नियम 26)

[illegible] उपखण्ड अधिकारी अरांई

मुकाम अराई (अजमेर)

• हरिराम पुत्र सोजी जाति जाट निवासी ग्राम रामपुरा तहसील अरांई जिला अजमेर राज0।

–प्रार्थी

## बनाम

• रिद्धकरण पुत्र हरजी जाति बलाई निवासी ग्राम रामपुरा तहसील अरांई जिला अजमेर राज.व अन्य।

–अप्रार्थीगण।

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज0का0अधि0 1955

दर्ज क्रमांक 06 / 2024

ऑनलाइन नंबर 2024 / ..........

वकील प्रार्थी :– विजय पोषक

वकील अप्रार्थीगण..................

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए |
|---|---|---|
| 20.11.2024 | यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी श्री विजय पोषक ने अन्तर्गत धारा 251(क) राज.का.अधि. के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 29.11.2024 को पेश हो। <br> (हस्ताक्षर) <br> उपखण्ड अधिकारी <br> अरांई | |
| 29/11/2024 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के Reg. डाक से समन मय रसीद पेश की शा० मि०। अप्रार्थी 01 की ओर से वकील श्री योगेश शर्मा द्वारा वकालतनामा पेश की शा.मि.। अप्रार्थी 02,3,4,5 अनुपस्थित। अप्रार्थी 07 के अदम तामिल नोटिस प्राप्त शा०मि०। तहसीलदार अरांई को मौका रिपोर्ट बाबत तहरीर जारी होकर पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थी 07 एवं जवाब अर्ज प्रतिवादीगण हेतु 27/1/25 को पेश हो। <br> (हस्ताक्षर) <br> उपखण्ड अधिकारी <br> अराई (अजमेर) | |

पेश हो।

28/3/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी की प्रा० पत्र पर बहस सुनी गयी मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। राज० भू० रा० अधि० की धारा 251 (क) के प्रावधानानुसार रास्ते की मौका रिपोर्ट संबंधित हल्का भू.अ. नि. एवं हल्का पटवारी के द्वारा तैयार की जानी चाहिए किन्तु मौका रिपोर्ट में केवल हल्का पटवारी के हस्ताक्षर है एवं तहसीलदार भराई द्वारा केवल उक्त मौका रिपोर्ट को अग्रेषित ही किया है। पुनः मौका रिपोर्ट ली जावे। पत्रावली दिनांक 5/5/25 को पेश हो।

5/5/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर रहे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार ........ दिनांक 9/5/25 को पेश हो।

9/5/25 पत्रावली पेश हुई बार ....बार किशनगढ़.... की ओर से कार्य स्थगन रखा गया। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 16/5/25 को पेश हो।

16/5/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। तहसीलदार भराई से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। आदेश पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट अरांई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमति निशा सहारण (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 106/2024 उनवानी हरिराम बनाम रिद्धकरण

1. हरिराम पुत्र सोजी जाति जाट निवासी ग्राम रामपुरा तहसील अराई जिला अजमेर राज0

—प्रार्थी

बनाम

1. रिद्धकरण पुत्र श्री हरजी जाति बलाई निवासी ग्राम रामपुरा तहसील अराई
2. कालू पुत्र स्व0 राधा किशन जाति बलाई
3. श्रीमती गुडिया पत्नि स्व. चेतन जाति बलाई
4. नबालिग लोकेश पुत्र स्व0 चेतन जरिये कुदरती संरक्षक माता श्रीमती गुडिया पत्नि स्व0 चेतन जाति बलाई
5. नबालिग वर्षा पुत्री स्व0 चेतन जरिये कुदरती संरक्षक माता श्रीमती गुडिया पत्नि स्व0 चेतन जरिये कुदरती संरक्षक माता श्रीमती गुडिया पत्नि स्व0 चेतन जाति बलाई
   सर्वनिवासीगण बलाइयों का मोहल्ला, दादिया तहसील अराई जिला अजमेर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।
7. श्री भूमि विकास बैंक शाखा किशनगढ जरिये शाखा प्रबन्धक किशनगढ जिला अजमेर राज0

—अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांकः 16/5/2025

उपस्थितः वकील प्रार्थी श्री विजय पोषक
श्री योगेश शर्मा वकील अप्रार्थी 1

## निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा जरिये वकील श्री विजय पोषक के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में जरिये अभिभाषक निवेदन किया किया कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि ग्राम केबानिया भू0अ0नि0क्षेत्र लाम्बा तहसील अराई में स्थित है जिसके खसरा संख्या 111 रकबा 1.0679 हैक्टैयर किस्म न0 डोल 0.0809 हैक्टेयर, नहरी 2 रकबा 0.9870 हैक्टेयर स्थित है राजस्व रिकार्ड के अनुसार हिस्सा निहित है तथा इसी के अनुसार वे मौके पर काबिज काश्त है। प्रार्थी के उक्त आराजी के पास ही अप्रार्थीगण संख्या 01 से 05 तक की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 112 रकबा 0.3641 हैक्टेयर भूमि स्थित है । इसके बाद रामपुरा से कटसूरा जाने वाली कच्ची सडक (आम रास्ता खसरा नम्बर 94)अवस्थित है । प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 111 में आने जाने के लिए कोई रास्ता स्थित नही है प्रार्थी को अपनी भूमि में आने जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता है प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण आने जाने एवं अन्य कृषि कार्य आवागमन के लिये खसरा संख्या 112 में से ही आते जाते है किन्तु खसरा संख्या 112 में रास्ता रिकार्डेड नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण बाधा कारित करतें हैं। प्रार्थीगण को अपनी जोत खसरा संख्या 111 में सिचाई तथा आने जाने के लिये खसरा संख्या 112 में से 15 फीट चौडा जिसके लिये प्रार्थीगण निर्धारित डी.एल.सी. दर के अनुसार राशि देने के लिये तैयार एवं तत्पर है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि के उपयोग उपभोग, सिचांई तथा कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिये अप्रार्थीगण संख्या 01 से 05 की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 112 में से 15 फीट चौडा रास्ता दिलवाने के आदेश फरमाने की कृपा करने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र के नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4) के तहत् नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 05 को दिनांक 29.11.2014 को विधिवत नोटिस तामिल हुये। दिनांक 2911.24 को अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकील श्री योगेश शर्मा द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। शेष अप्रार्थीगण बाद तामिली रिपोर्ट अनुपस्थित हुए । दिनांक 04.04.2025 को तहसीलदार अरांई द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की। मौका रिपोर्ट में भू.अ.नि. लाम्बा व पटवारी हल्का केबानिया ने अंकित किया कि ग्राम केबानिया के खसरा संख्या 111 में आवागमन के लिये खसरा संख्या 112 में से नजरी नक्शा के अनुसार कुल 0.0060 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जायेगी जिसकी निर्वापित राशि वर्तमान डी.एल.सी. दर 2,46,000 रूपये प्रति हैक्टेयर के अनुसार मूल्य 1476/- जिसकी दुगुना राशि 2952/- दो हजार नो सो बावन रूपये होगी ।
वकील प्रार्थी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी रास्ते के रूप में प्रयुक्त होने वाली अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 की भूमि के रास्ते की राशि डीएलसी दर अनुसार अदा करने में सहमत, तैयार, तत्पर है ।

हमारे द्वारा उक्त प्रकरण में वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है अतः तहसीलदार अराई की अनुशंषा एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना विधिपूर्ण है । उपरोक्त विवेचन के अनुसार अग्रलिखित आदेश दिये जातें है:-

## -: आदेश :-

प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार प्रार्थी की भूमि में कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिये रास्ते की अतिआवश्कता है, प्रार्थी की ग्राम केबानिया स्थित खातेदारी भूमि ख0नं0 111 में आवागमन हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ पेश नजरी मानचित्र अनुसार एवं पेरोकार सरकार द्वारा पेश रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0नं0 111 में आवागमन ख0नं0 112 से होना स्पष्ट होता है एवं उक्त रास्ता निकटतम रास्ता है। साथ ही प्रार्थी ने अप्रार्थी की रास्ते हेतु अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की एवज में रास्ते की राशि डीएलसी दर अनुसार अदा करने हेतु सहमति जाहिर की है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार अरांई को आदेश दिये जातें है कि ग्राम केबानिया स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 112 में से 15 फीट चोडा रास्ते हेतु रिपोर्ट क्रमांक 1269 दिनांक 20.3.2025 के अनुसार 0.0060 हैक्टैयर भूमि अधिग्रहित की जाकर वाद अधीन भूमि की प्रचलित वर्तमान डीएलसी दर 2,46,000 हैक्टेयर प्रति हैक्टेयर के अनुसार दुगुनी निर्वापित राशि 2952 रूपये अक्षरे दो हजार नो सो बावन रूपये जो प्रार्थी द्वारा 88 राजस्व मण्डल 8443 सिविल डिपोजिट के मद 8443-00-103-00-00 प्रतिभूति जमा की जायेगी । प्रार्थी को अधिग्रहित भूमि रकबा 0.0060हैक्टेयर भूमि का मुआवजा राशि 2952/- रूपये अक्षरे दो हजार नो सो बाबन रूपये तहसीलदार अराई के माध्यम से राजकोष में जमा कराने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार अराई को आदेशित किया जाता है कि उक्त मुआवजा राशि राजकोष में जमा होने के पश्चात उनकी रिपोर्ट कमांक भू0अ0/2025/1269 दिनांक 20.3.25 के साथ संलग्न मौका पर्चा अनुसार रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड में रकबा 0.0060 हैक्टेयर भूमि रास्ता सिवायचक दर्ज कर राजस्व नक्शे में तरमीम करे तथा प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा राशि को अप्रार्थीगण संख्या 01 से 05 को नियमानुसार वितरित करने की कार्यवाही करे ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 16.5.2025.. को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर किये गये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निशा सहारण (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)